भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2122

(दिनांक 12.03.2025 को उत्तर देने के लिए)

ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दिखाई जाने वाली सामग्री

2122. डॉ. आनन्द कुमार गोंडः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों के दौरान मनोरंजन के नाम पर अश्लील और अशिष्ट सामग्री की जांच में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने यूट्यूब सहित ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बच्चों की नग्नता और अश्लील सामग्री को रोकने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का यह मत है कि मनोरंजन के नाम पर अश्लीलता और अशिष्टता को रोकने के लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दिखाई जाने वाली सामग्री की निगरानी की जानी चाहिए और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री

(डॉ. एल. मुरूगन)

(क) से (ग): सरकार ने आईटी अधिनियम, 2000 के तहत दिनांक 25.02.2021 को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया, आचार संहिता) नियम, 2021 को अधिसूचित किया है। नियमों के भाग-III में डिजिटल समाचार प्रकाशकों और ऑनलाइन क्यूरेटेड सामग्री (ओटीटी प्लेटफॉर्म) के प्रकाशकों के लिए आचार संहिता का प्रावधान है। ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए आचार संहिता में यह प्रावधान है कि वे ऐसी कोई भी सामग्री प्रसारित नहीं करेंगे जो वर्तमान में लागू कानून द्वारा निषिद्ध है और नियमों की अनुसूची में दिए गए

सामान्य दिशा-निर्देशों, जिसमें नग्नता और सेक्स से संबंधित चित्रण से संबंधित प्रावधान शामिल हैं, के आधार पर सामग्री का आयु-आधारित स्व-वर्गीकरण करेंगे। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर्याप्त पहुंच नियंत्रण उपायों के साथ बच्चों के लिए आयु-अनुचित सामग्री को प्रतिबंधित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय भी लागू करेंगे।

इसके अलावा आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 79(3)(ख) में उचित सरकारों द्वारा गैर-कानूनी कार्य या सामग्री के संबंध में मध्यस्थों के लिए ऐसी सामग्री तक पहुंच को हटाने/बंद करने के लिए अधिसूचना का प्रावधान है। मार्च 2024 में, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इन प्रावधानों के तहत कार्रवाई की है और अश्लील व अशिष्ट सामग्री प्रदर्शित करने के लिए 18 ओटीटी प्लेटफार्मों को ब्लॉक कर दिया है।

इस मंत्रालय ने ओटीटी प्लेटफार्मों और ओटीटी प्लेटफार्मों के स्व-विनियामक निकायों को अपने प्लेटफार्मों पर सामग्री की होस्टिंग करते समय भारतीय कानूनों और आईटी नियम, 2021 के तहत निर्धारित आचार संहिता का पालन करने के लिए दिनांक 19.02.2025 को एडवाइजरी जारी की है।

****